दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, बुधवार 04 जनवरी 2023 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-05, अंक- 98

महत्वपूर्ण एवं खास

अजनाला में भारत-पाक बार्डर पर घुसपैठ की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने ढेर किया घुसपैठिया

अजनाला (आरएनएस)। भारत-पाकिस्तान सीमा पर तहसील अजनाला के अधीन आती सीमावर्ती चौकी छन्ना के पास बीएसएफ ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फायरिंग कर घुसपैठिए को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक मृतक के पास से एक राइफल भी बरामद हुई है। हालांकि मृतक की पहचान नहीं हुई है। वहीं, थाना थाना भिंडी सैदां के अधीन आती चौकी गुलगढ़ के पास बार्डर पर ड्रोन की हलचल देखी गई। इस पर जवानों ने फायरिंग की। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन की तलाश में तलाशी अभियान चलाया है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से हथियार और नशीले पदार्थ भेजने के कई मंसूबे बीएसएफ ने फेल किए हैं।

वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, चार दिन पहले पीएम मोदी ने दिखाई थी हरी झंडी

कोलकाता (आरएनएस)। चार दिन पहले ही शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर सोमवार देररात पथराव हुआ। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा लौट रही थी। मालदा जिले के कुमारगंज के पास ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। इस पथराव से ट्रेन के कोच के गेट के शीशे में दरार भी आ गई। 30 दिसंबर, 2022 को हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका विधिवत संचालन शुरू किया था। इससे पहले भी सेमी-हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटनाएं हुई हैं। 15 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ में नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थर फेंके गए थे, इसके चलते ट्रेन की खिडक़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था। यह घटना दुर्ग और भिलाई स्टेशनों के बीच हुई थी। इस घटना के मात्र चार दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया था।

कुत्ते को बचाने के चक्कर में पंजाब में शख्स की नहर में डूबने से मौत

चंडीगढ़(आरएनएस)। पंजाब में मर्चेंट नेवी का एक 40 साल का अधिकारी अपने पालतू कुत्ते को बचाने की कोशिश के दौरान भाखड़ा नहर में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। घटना मोरिंडा कस्बे के पास सोमवार शाम की है, जब मोहाली निवासी रमनदीप सिंह अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गए हुए थे। उसके भाई जय वीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका भाई अपने परिवार के साथ पिकनिक पर था, और जब वे नहर के किनारे टहल रहे थे, तो पालतू कुत्ता गलती से नहर में गिर गया। बचाने के लिए रमनदीप सिंह नहर में कूद गया लेकिन डूब गया। हालांकि राहगीरों ने कुत्ते को बचा लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विवेक शील सोनी ने मीडिया को बताया कि शव का पता लगाने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया गया है।

दिल्ली युवती मौत मामला : भारी सुरक्षा के बीच अंजलि का अंतिम संस्कार, पीड़िता की मां को दिल्ली सरकार देगी 10 लाख रुपए

नई दिल्ली (आरएनएस)। मंगलवार शाम को शिवपुरी मुक्ति धाम श्मशान भूमि में अंजलि का अंतिम संस्कार किया गया, रविवार तडक़े करीब 12 किलोमीटर तक कार से घसीटने के बाद 20 वर्षीय अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पीड़ित के घर से श्मशान घाट तक 1,000 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों को तैनात किया गया था।

जिस एम्बुलेंस में मृतक के शव को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया गया था, उसके साथ 50 से अधिक पुलिस वाहन थे। परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी श्मशान घाट में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। बड़ी संख्या में लोग श्मशान घाट के बाहर जमा थे, पुलिस के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जस्टिस फॉर अंजलि के नारे लगाते हुए तख्तियां और पीड़ित की तस्वीरें लिए हुए थे।

आक्रोशित एक प्रदर्शनकारी ने कहा, जब घटना हुई तब पुलिस कहां थी?, करण विहार निवासी रामपाल ने कहा, अंजलि को न्याय मिलना चाहिए। हम आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग करते हैं। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, जब पीड़िता को 12 किमी तक घसीटा गया, तब पुलिस कहां थी? इलाके में कितने पुलिस वाहन थे, लापरवाही के दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों को निलंबित किया जाना चाहिए।

रविवार की तडक़े अंजलि की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद कार के नीचे फंसी अंजलि को सुल्तानपुरी से कंझावला तक लगभग 12 किमी तक घसीटा गया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। कार में सवार पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं।

पीड़िता के परिवार को देंगे 10 लाख रुपए : केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कंझावाला इलाके में मृतिका की मां से बात करने के बाद बताया-बेटी को न्याय दिलवायेंगे। बड़े से बड़ा वकील खड़ा करेंगे। उनकी मां बीमार रहती हैं। उनका पूरा इलाज करवाएंगे। पीड़िता के परिवार को दस लाख रुपये का मुआवज़ा देंगे। सरकार पीड़िता के परिवार के साथ है। भविष्य में भी कोई ज़रूरत हुई तो हम पूरा करेंगे।

दरिंदगी मामले में नया मोड़, स्कूटी पर 1 नहीं 2 लड़कियां थीं

बाहरी दिल्ली के कंझावला में कार से घसीट कर 20 वर्षीय युवती की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मोड़ यह है कि , मृतक लडक़ी के साथ स्कूटी पर एक और लडक़ी सवार थी। एक्सीडेंट के बाद दूसरी लडक़ी को भी चोटें आई थीं, जबकि कार में फंसी युवती को 13 किमी तक घसीटा गया था। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस आज दूसरी लडक़ी का बयान दर्ज कर सकती है। पुलिस ने लडक़ी को ट्रेस कर लिया है और उसका बयान भी दर्ज करेगी। लडक़ी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी दर्ज होगा। सुल्तानपुरी कांड के पांचों आरोपियों ने जब कंझावला रोड पर जोंटी गांव के पास कार रोकी तो उन्होंने युवती को कार में फंसा देखा। आरोपियों ने युवती को कार के नीचे से निकाला और उसे खुले आसमान के नीचे सर्दी में वहीं फेंककर चले गए। युवती के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। आरोपियों की पहचान दीपक खन्ना (26), अमित खन्ना (25), कृष्णन (27). मिथुन (26) और मनोज मित्तल (27) के रूप में हुई है।

विशेष पुलिस आयुक्त शालिनी सिंह ने घटनास्थल का दौरा किया। सिंह, डीसीपी ईओडब्ल्यू जितेंद्र कुमार मीणा और अन्य कर्मचारियों के साथ अपराध स्थल पर पहुंचीं और 12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया, जिस पर कार द्वारा महिला को घसीटा गया। गृह मंत्रालय ने सोमवार को सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया था, जो मंगलवार शाम तक मामले में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इससे पहले तीन डॉक्टरों की टीम ने मृतका का पोस्टमॉर्टम किया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बुधवार शाम तक सौंपी जाएगी। वहीं फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की दो टीमों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अपराध स्थल से साक्ष्य एकत्र किए।

एफएसएल टीम ने पीड़िता की स्कूटी और आरोपी की बलेनो कार से भी सैंपल लिए। हादसे के समय पीड़िता स्कूटी चला रही थी। कहा जाता है कि उसके कपड़े कार के पहिए में उलझ गए और उसे 12 किमी तक घसीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 गाडिय़ां टकराईं, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौके पर मौत

कुड्डालोर(आरएनएस)। तमिलनाडु में सुबह-सुबह हुए भीषण सडक़ हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत की खबर है। हादसा त्रिची-चेन्नई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तडक़े हुआ। यहां छह वाहनों की आपस में टक्कर में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गई। कुड्डालोर जिले के वेयपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे में 2 निजी बस, 2 लॉरी और 2 कारें आपस में टकरा गईं.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हादसे में 5 लोगों की मौत मौके पर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे में चालक समेत एक ही परिवार के 2 महिला और 2 बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि परिवार के मृतक सदस्य, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, एक कार में थे। हादसे की सूचना तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को दी गई।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद मृतक के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए वेपुर सरकारी अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस इस बात की गहन जांच कर रही है कि हादसे में शामिल लोग किस शहर के रहने वाले हैं। हादसे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो गया है।

अमेजन वेयरहाउस में लूट : 3 लुटेरे गिरफ्तार, 12 लाख रुपए बरामद

ग्रेटर नोएडा (आरएनएस)। 31 दिसंबर की देर रात और 1 जनवरी के तडक़े सुबह बदमाशों ने अमेजन कंपनी के वेयरहाउस में धावा बोलकर वहां से लाखों रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करने के लिए कई टीम लगाई थीं। आज थाना सूरजपुर पुलिस टीम ने अमेजोन वेयरहाउस में हुयी लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल 3 लुटेरे 1.राजकुमार 2.सचिन कुमार 3.राजा को अभियुक्त राजकुमार के घर श्यामविहार कॉलोनी, कस्बा व थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार कर लिया है।

अभियुक्तों के कब्जे से तीन अवैध तमंचे .315 बोर, 5 जिन्दा कारतूस, तिजोरी के अंदर से लूट की रकम के कुल 12,25,631/- रुपये नगद, क्षतिग्रस्त तिजोरी, तिजोरी काटने में प्रयुक्त ग्राइन्डर तथा अभियुक्त राजकुमार के घर पर खडी घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है।

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तीनो अभियुक्त शातिर किस्म के लुटेरे हैं। जिनके द्वारा थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थित अमेजोन डिलीवरी स्टेशन ए-02/1, सीडब्लूसी, साइट बी, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा से दिनांक 31/1 की रात को समय करीब तीन बजे डिलीवरी स्टेशन में मौजूद सुरक्षाकर्मियों को गन प्वाइंट पर लेकर वेयरहाउस केस काउंटर पर रखी तिजोरी को लूट लिया था तथा फरार हो गये थे। थाना सूरजपुर पुलिस ने तभी से अभियुक्तों की गिरफ्तारी सर्विलांस व अन्य माध्यमों से अथक प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार किया गया अभियुक्त सचिन पूर्व में ग्रुप-4 सिक्योरिटी कम्पनी के माध्यम से अमेजोन डिलीवरी स्टेशन सीडब्लू वेयरहाउस में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था तथा राजकुमार उपरोक्त वर्तमान समय में ग्रुप-04 सिक्योरिटी के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड है। अभियुक्त राजकुमार व सचिन के द्वारा अपने साथी राजा उपरोक्त के साथ मिलकर अमेजोन डिलीवरी स्टेशन में लूट की योजना बनायी थी। योजनानुसार रात में करीब तीन बजे अवैध अस्लाह से लैस होकर अमेजोन डिलीवरी स्टेशन ए-02/01 सीडब्लूसी साइट बी, औद्योगिक क्षेत्र सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में लूट की घटना को गई थी।

हरियाणा सतर्कता ब्यूरो ने धोखाधड़ी और रिश्वत मामले में एचसीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार

चंडीगढ़ (आरएनएस)। हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने वर्ष 2023 के पहले मामले में जबरन वसूली, धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोप में 2016 बैच के एक एचसीएस अधिकारी व उसके परिवार के तीन सदस्य -एक चाचा और दो भाई - के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वर्तमान में एचसीएस अधिकारी हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर तैनात है।

एचसीएस अधिकारी और उसके भाई को हाल ही में हुए नूंह जिला परिषद चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के बहाने एक महिला उम्मीदवार से 9,60,000 रुपये की मांग और स्वीकृति के आरोपों को साबित करने के लिए रिकॉर्ड में आने वाले सबूतों के बाद गिरफ्तार किया गया है।

सतर्कता ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान एचसीएस अधिकारी वकील अहमद और उनके भाई फखरुद्दीन के रूप में हुई है।

विजिलेंस को दी शिकायत में तावडू निवासी शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपी एचसीएस अधिकारी और उनके परिवार के सदस्य एचसीएस अधिकारी के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए नूंह जिला परिषद चुनाव (वार्ड नंबर 3) में चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर कर उसकी पुत्रवधू की मदद करने के एवज में 10,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने शिकायतकर्ता से 9,60,000 रुपये ले लिए थे।

तथ्यों के सत्यापन के बाद ब्यूरो ने पाया कि एचसीएस अधिकारी और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए। अधिकारी को प्रासंगिक समय पर संपदा अधिकारी, एचएसवीपी, पानीपत के रूप में तैनात किया गया था।

ब्यूरो के पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है।

ओडिशा में एक और रूसी नागरिक की मौत, 15 दिनों में तीसरी घटना

पारादीप(आरएनएस)। ओडिशा में एक और रूस नागरिक की हत्या हो गई है। 15 दिनो में ये तीसरी घटना है। मंगलवार को ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले के पारादीप बंदरगाह में डेरा डाले एक जहाज में एक रूसी नागरिक मृत मिला। उसकी पहचान मिल्याकोव सर्गेई के रूप में हुई। 51 साल का सर्गेई जहाज 'एम बी अलदना' का मुख्य इंजीनियर था।

यह जहाज बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से पारादीप के रास्ते मुंबई जा रहा था। मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे सर्गेई जहाज के चेंबर में मृत मिला। पारादीप पुलिस ने कहा कि मौत की वजह तत्काल पता नहीं चल सकी है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन पीएल हरानंद ने रूसी इंजीनियर की जहाज में मौत की पुष्टि की है। मामले की जांच चल रही है। बता दें, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पिछले महीने दो अन्य रूसियों की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत की जांच कर रहा है, जिसमें एक अरबपति भी शामिल है।

इन दो मृतकों में एक रूसी सांसद पावेल एंटोव (65) थे व दूसरा उनका मित्र व्लादिमीर बिडेनोव (61) था। पावेल की मौत 24 दिसंबर को और बिडेनोव की 22 दिसंबर को हुई थी। पावेल की होटल की तीसरी मंजिल से कथित तौर पर गिरने से मौत हुई थी, जबकि उनके मित्र बिडेनोव दो दिन पहले इसी होटल के अपने कमरे में मृत पाए गए थे।

सिनेमा हॉल में मालिक की चलेगी मर्जी, बाहर से खाने-पीने की चीजें ले जाने पर उन्हें रोक लगाने का अधिकार : सुप्रीमकोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि सिनेमा हॉल मालिकों की निजी संपत्ति हैं। इसलिए, उन्हें यह तय करने का अधिकार है कि क्या फिल्म देखने वाले सिनेमा हॉल के अंदर अपने खाने का सामान और पानी ले जा सकते हैं या नहीं। सिनेमाघरों में बाहर से खाने-पीने की चीजों को ले जाने की इजाजत देने से जम्मू हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को अनुचित बताते हुए कहा कि ये आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के लिए खाना व सभी के पीने का स्वच्छ पानी वहां मुफ्त उपलब्ध कराने के आदेश पहले से ही दे रखे हैं। कोर्ट ने कहा कि ये दर्शकों का अधिकार और इच्छा है कि वो किस थिएटर में कौन सी फिल्म देखने जाएं। वैसे ही हॉल प्रबंधन को भी अधिकार है कि वहां क्या क्या नियम बनाने हैं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है। यह मामला जम्मू कश्मीर के एक सिनेमा हॉल में बाहर से लाए गए भोजन पर पाबंदी लगाए जाने से जुड़ा है।

सभी धर्मांतरण अवैध नहीं, सुप्रीम कोर्ट का धर्मांतरण विरोधी कानून पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को सूचित किए बिना शादी करने वाले अंतर्धार्मिक जोड़ों पर मुकदमा चलाने से रोक लगाई गई थी। जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी धर्मांतरण को अवैध नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई सात फरवरी को निर्धारित की।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर अवैध धर्मांतरण के लिए शादी का इस्तेमाल किया जाता है, तो वह आंख नहीं मूंद सकती है और कहा कि शादी या धर्मांतरण पर कोई रोक नहीं है, लेकिन इसके लिए केवल जिलाधिकारी को सूचित करना आवश्यक है।

मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की, हालांकि शीर्ष अदालत ने कोई निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया।

राज्य सरकार ने अपनी दलील में तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के आदेश ने धारा 10 (1) को मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 की धारा 10 (2) के साथ मिला दिया है। इसमें आगे कहा गया है कि जो प्रावधान धर्मांतरण के इच्छुक नागरिक पर लागू होता है, वह धारा 10(1) है और इस प्रावधान के उल्लंघन का कोई दंडात्मक परिणाम नहीं है और कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता है।

राज्य सरकार ने कहा कि यह धारा 10 (2) है, जिसके दंडात्मक परिणाम हैं, जो एक पुजारी या व्यक्ति पर लागू होता है, जो सामूहिक धर्मांतरण द्वारा दूसरों को धर्मांतरित करना चाहता है। इसमें कहा गया है कि धारा 10 (2) की वैधता को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं परखा जा सकता, क्योंकि दूसरों को परिवर्तित करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में अपने फैसले में, राज्य सरकार को वयस्क नागरिकों पर मुकदमा चलाने से रोक दिया था, अगर वे अपनी इच्छा से विवाह करते हैं और मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (एमपीएफआरए), 2021 की धारा 10 का उल्लंघन करते हैं। प्रावधान के अनुसार धर्मांतरण करने का इरादा रखने वाले व्यक्तियों और धर्मांतरण करने वाले पुजारी को अपने इरादे के बारे में 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 10 को प्रथम दृष्टया असंवैधानिक पाया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, अगले आदेश तक प्रतिवादी वयस्क नागरिकों पर मुकदमा नहीं चलाएगा, यदि वे अपनी इच्छा से विवाह करते हैं और अधिनियम 21 की धारा 10 के उल्लंघन के लिए कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे।